न्यायालय सहायक कलक्टर ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 54/2021

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
मंगेश कुमार पुत्र भंवरलाल जाति सारस्वत निवासी रानीवाडा खुर्द तहसील रानीवाडा		1. गंगासिह 2. वगतावरसिह पिसरान प्रेमसिंह 3. कैलाशकंवर 4. छैलकंवर पुत्रीयान प्रेमसिंह 5. कुन्दनकंवर पुत्री शेरसिंह 6. फतेहसिह 7. भीमसिंह पिसरान शेरसिंह 8. राजेन्द्रकंवर पत्नि वगतावरसिंह 9. सुमीत्राकंवर पत्नि गंगासिंह 10. मुतक रूगनाथसिंह पुत्र शेरसिंह के कायम मुकाम वारीसानः– 10/1. मीनाकंवर 10/2. जितुकंवर 10/3. लताकंवर पुत्रीयान रूगनाथसिंह 10/4. हवलकंवर पत्नि रूगनाथसिंह कौम राजपुत साकिनान रानीवाडाखुर्द तहसील रानीवाडा जिला–जालोर 11. भुमिधारी तहसीलदार रानीवाडा 12. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैक शाखा रानीवाडा

दावा बाबत बंटवाड़ा खातेदारी आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. वादीगण अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई
2. प्रतिवादी संख्या 6 श्री वीरबहादूरसिंह देवड़ा।
3. प्रतिवादी संख्या 11 राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा।

–: निर्णय :–

दिनांक 07.07.2022

1. वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत धारा 53, 188 बाबत् बंटवाडा खातेदारी आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। जिनके तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि यह कि सरहद मौजा रानीवाडाखुर्द तहसील रानीवाडा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 10/4 की संयुक्त व शामलाती खातेदारी की आराजी खसरा नबंर 702 रकबा 0.74 हैक्टर की आई हुई है। जिसकी खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:57:56 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रेकर्ड में कुन्दनकंवर पुत्री शेरसिंह हिस्सा 1/12 जाति राजपुत साकिन देह खातेदार, कैलाशकंवर पुत्री प्रेमसिंह हिस्सा 1/60 जाति राजपुत साकिन देह खातेदार, गंगासिंह पुत्र प्रेमसिंह हिस्सा 1/40 जाति राजपुत साकिन देह खातेदार, छैलकंवर पुत्री प्रेमसिंह हिस्सा 1/60 जाति राजपुत साकिन देहखातेदार, फतेहसिंह पुत्र शेरसिंह हिस्सा 1/6 जाति राजपुत साकिन देह खातेदार, भीमसिंह पुत्र शेरसिंह हिस्सा 1/12 जाति राजपुत साकिन देह खातेदार, मंगेशकुमार पुत्र भंवरलाल हिस्सा 1/2 जाति सारस्वत साकिन देह खातेदार, रूगनाथसिंह पुत्र शेरसिंह हिस्सा 1/84 जाति राजपुत साकिन देह खातेदार, राजेन्द्रकंवर पत्नि वगतावरसिंह हिस्सा 1/28 जाति राजपुत साकिन देह खातेदार, वगतावरसिंह पुत्र प्रेमसिंह हिस्सा 1/40 जाति राजपुत साकिन देह खातेदार, सुमित्राकंवर पत्नि गंगासिंह हिस्सा 1/28 जाति राजपुत साकिन देह खातेदार दर्ज है। खातेदार रूगनाथसिंह पुत्र शेरसिह फौत हो जाने से स्व.रूगनाथसिह के कायम मुकाम वारीसान 10/1, 10/2, 10/3, 10/4 होने से वाद पत्र में बतौर पक्षकार संयोजित किया गया है। उक्त आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा खातेदारी का है। उक्त आराजी का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 10/4 के बीच मौके पर बंटवाडा हो गया परन्तु विधिवत रेकर्ड बंटवाडा नहीं हुआ है।

2. विनायवाद सर्वप्रथम उस समय पैदा हुआ जब वादी ने कई बार प्रतिवादी संख्या 1 से 10/4 को उक्त आराजी का आपसी सहमति से बंटवाडा करवाने का कहा परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 10/4 ने टालमटोल की। तत्पश्चात उस समय पैदा हुआ वादी ने दिनांक 12.8.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 से 10/4 को वादग्रस्त आराजी का आपसी सहमति से विधिवत बंटवाडा करवाने का कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 से 10/4 ने आपसी सहमति से बंटवाडा करवाने में आना–कानी की तथा वादी को प्रतिवादी संख्या 1 से 10/4 ने उक्त आराजी से लाठी के बल पर बैदखल करने की ऐलानियां धमकी दी। तत्पश्चात वाद कारण निरन्तर आज तक जारी है।

3. इस्तदुआ वादी है कि सरदह मौजा रानीवाडाखुर्द तहसील रानीवाडा के खेत नवीन खसरा नबंर 702 रकबा 0.74 हैक्टर का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 10/4 के बीच बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस व मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर व मुख्य सडक पर आनुपातिक बंट का हिस्सा देते हुए बंटवाडा कर उक्त आराजी में से वादी का 1/2 हिस्सा आराजी अलग बंट में दी जावे व प्रतिवादी संख्या 1 से 10/4 को भी उनके हिस्से माफिक आराजी बंट में दी जावे तथा इसी माफिक लगान के निर्धारण व राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हेतु तहसीलदार रानीवाडा को आदेश फरमावे। तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 10/4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावें कि वे बाद बंटवाडा वादग्रस्त आराजी में वादी के बंट की आराजी में वादी के कब्जे काश्त, उपयोग व उपभोग में न तो स्वयं कोई दखल करें तथा न ही किसी अन्य से कोई दखल करावें।

4. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गए। प्रतिवादी संख्या 1 से 5, 7 से 10/4, 12 की ओर से बाद तामील सम्मन अनुपस्थित होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। व [illegible] संख्या 11 राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा उपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:57:56 IST
Reason: SelfAttested

5. प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता श्री [illegible] देवड़ा द्वारा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया । जिसके तथ्य [illegible]स प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 6 का मौके पर कब्जा काश्त कई वर्षो से अलग आया हुआ है। प्रतिवादी संख्या 6 का

कब्जा मौजा रानीवाडा खुर्द के खसरा नम्बर 702 रकबा 0.74 हेक्टेयर में जवाब के साथ पेश नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में मार्क ए बी सी डी स्थान पर आया हुआ है। उक्त स्थान पर प्रतिवादी संख्या 6 का कब्जा काश्त कई वर्षो से चला आ रहा है। अतः प्रतिवादी संख्या 6 जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम के साथ पेज नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में मार्क ए बी सी डी स्थान पर बंटवारा कर बंट प्राप्त करना चाहता है। जिस बाबत काउन्टर क्लेम बाबत बंटवारा पेश है।

6. दिनांक 23.05.2022 को न्यायालय द्वारा दोनों पक्षो के अधिवक्ताओं के निवेदन पर खातेदारो के हक हिस्से अनुसार मौजा रानीवाडा खुर्द के खसरा नम्बर 702 रकबा 0.74 हेक्टेयर के मीट्स एण्ड बाउण्ड के जरिये बंटवाडा प्रस्ताव के प्राथमिक डिक्री के आदेश तहसीलदार रानीवाडा को किये गये। तथा तहसीलदार रानीवाडा को पत्रांक/कोर्ट/2022/563 दिनांक 26.05.2022 के द्वारा तहसीलदार रानीवाडा से प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार रानीवाडा द्वारा कब्जा काश्त अनुसार बंटवारा प्रस्तावित कर पत्रांक/कोर्ट/2022/612 दिनांक 28.06.2022 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किये हैं।

7. तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव पर को उपस्थित पक्षकारान को पढकर सुनाया गया । वादी व प्रतिवादी संख्या 6 के अधिवक्ता को सुना गया, जिनके द्वारा किसी प्रकार की विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं करते हुए सहमति प्रकट की एवं आदेर्शिका पर हस्ताक्षर किये। अतः तहसीलदार रानीवाड़ा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना उचित प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 10/4 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	मंगेश कुमार पुत्र भवरलाल कौम सारस्वत ब्राहम्ण सा. देह खातेदार	702	0.74	0.37	बारानी प्रथम	पीला	1.48
2.	फतेहसिंह पुत्र शेरसिंह कौम राजपूत सा0 देह खातेदार	702	0.74	0.1233	बारानी प्रथम	लाल	0.49
3.	कुन्दनकंवर पुत्री शेरसिंह हिस्सा 617/2467, गंगासिंह वगतावरसिंह पुत्र प्रेमसिंह हिस्सा 492/2467, भीमसिंह पुत्र शेरसिंह हिस्सा 617/2467, रूगनाथसिंह पुत्र शेरसिंह हिस्सा 88/2467, छैलकंवर पुत्री प्रेमसिंह हिस्सा 123/2467, राजेन्द्रकंवर पत्नि वगतावरसिंह हिस्सा 265/2467, सुमित्राकंवर पत्नि गंगासिंह हिस्सा 265/2467	702	0.74	0.2467	बारानी प्रथम	गुलाबी	0.99

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:57:56 IST
Reason: SelfAttested

	कौम राजपूत सा. देह खातेदार						

8. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 6 व प्रतिवादी संख्या 1 से 5, 7 से 10/4 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 10/4 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 07.07.2022 से सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:57:56 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix "D"-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल आर.ए.एस.

वादी		प्रतिवादीगण
मंगेश कुमार पुत्र भंवरलाल जाति सारस्वत निवासी रानीवाडा खुर्द तहसील रानीवाडा	बनाम	1. गंगासिह 2. वगतावरसिह पिसरान प्रेमसिंह 3. कैलाशकंवर 4. छैलकंवर पुत्रीयान प्रेमसिंह 5. कुन्दनकंवर पुत्री शेरसिंह 6. फतेहसिह 7. भीमसिंह पिसरान शेरसिंह 8. राजेन्द्रकंवर पत्नि वगतावरसिंह 9. सुमीत्राकंवर पत्नि गंगासिंह 10. मुतक रूगनाथसिंह पुत्र शेरसिंह के कायम मुकाम वारीसानः– 10/1. मीनाकंवर 10/2. जितुकंवर 10/3. लताकंवर पुत्रीयान रूगनाथसिंह 10/4. हवलकंवर पत्नि रूगनाथसिंह कौम राजपुत साकिनान रानीवाडाखुर्द तहसील रानीवाडा जिला–जालोर 11. भुमिधारी तहसीलदार रानीवाडा 12. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैक शाखा रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 54/2021

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादी की ओर से वकील श्री मोहनलाल विश्नोई व प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से वकील श्री वीरबहादूरसिंह देवड़ा उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 11 राजपेरोकार उपस्थित, तथा प्रतिवादी सं0 1 से 5 , 7 से 10/4 के विरूद्ध अनुपस्थित रहने से एक पक्षकीय कार्यवाही होने से अनुपस्थित। मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	मंगेश कुमार पुत्र भंवरलाल कौम सारस्वत ब्राहम्ण [illegible] खातेदार	702	[illegible]74	0.37	बारानी प्रथम	पीला	1.48

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:57:56 IST
Reason: SelfAttested

2.	फतेहसिंह पुत्र शेरसिंह कौम राजपूत सा0 देह खातेदार	702	0.74	0.1233	बारानी प्रथम	लाल	0.49
3.	कुन्दनकंवर पुत्री शेरसिंह हिस्सा 617/2467, गंगासिंह वगतावरसिंह पुत्र प्रेमसिंह हिस्सा 492/2467, भीमसिंह पुत्र शेरसिंह हिस्सा 617/2467, रूगनाथसिंह पुत्र शेरसिंह हिस्सा 88/2467, छैलकंवर पुत्री प्रेमसिंह हिस्सा 123/2467, राजेन्द्रकंवर पत्नि वगतावरसिंह हिस्सा 265/2467, सुमित्राकंवर पत्नि गंगासिंह हिस्सा 265/2467 कौम राजपूत सा. देह खातेदार	702	0.74	0.2467	बारानी प्रथम	गुलाबी	0.99

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 6 व प्रतिवादी संख्या 1 से 5, 7 से 10/4 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मीमो नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 10/4 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाति है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 07.07.2022 को जारी की गई।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	जवाबदावा	1	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	1	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीष्नर	0	00	फीस कमीश्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	3	00	मौजाना	3	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:57:56 IST
Reason: SelfAttested